कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

सहारनपुर नगर निगम सम्पत्ति अनुभाग
ई–निविदा

पत्रांकः 1601 /सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2022–23 दिनांक : 23/11/22

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि ठेका मैसूर पैलेस के सामने व ग्राम मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या 578 भूमि पर दिनांक 31.03.2024 तक पार्किंग ठेके हेतु दिनांक 09.11.2022 व 22.11.2022 को ई–निविदा आमंत्रित की गयी थी परन्तु उक्त तिथि प्र्याप्त निविदा प्राप्त नहीं हुयी, इसलिए दिनांक 30.11.2022 को पुनः ई–निविदा आमन्त्रित की जा रही है, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रकिया में भाग ले सकते हैं–

क्र0सं	पत्रा0 सं0	ठेके का नाम	जमानत राशि	न्यूनतम ऑफर धनराशि मय माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)
1	NZ1	ठेका मैसूर पैलेस के सामने (12.75 मीटर चौडाई ×178 मीटर लम्बाई कुल क्षे0 2269.5 वर्गमीटर)	1 लाख	10 लाख
2	NZ1	ठेका मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या 578 की भूमि (शुगल मिल रोड रोड निकट वाल्मिकि बस्ती) (50 मीटर चौडाई ×100 मीटर लम्बाई कुल क्षे0 5000 वर्गमीटर)	70 हजार	07 लाख

नोट 1– प्रत्येक ठेके के निमित्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जमानत राशि की एफ0डी0आर0 चरित्र प्रमाण पत्र, पास पोर्ट आकार के 02 फोटो एक शपथ पत्र जिस पर निविदादाता को फोटो लगा होगा तथा यह तथ्य अंकित होगा कि उपरोक्त समस्त प्रपत्र उसके द्वारा हस्ताक्षरित कर दिये है, तथा वह उत्तर प्रदेश के किसी भी संस्था/निगम का बकायेदार नही है, और कभी भी ब्लैक लिस्टेड नही हुआ है। निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

2– ठेके से संबंधित सभी शर्ते सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

3– ठेका बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।

4– जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।

5– ऑनलाईन निविदा दिनांक 30.11.2022 को अपरान्ह 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से तथा दिनांक 30.11.2022 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालय में रखें टैण्डर बाक्स में अपनी टेक्निकल निविदा को डालें जाने एवम् तद्दिनांक को सायं 04:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

6– टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/– रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 22.11.2022 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।

3–प्रभारी मीडिया, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र **दैनिक जागरण ,दैनिक जनवाणी एवं दैनिक रोजाना** पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

4–रिकार्ड कीपर को नीलाम की व्यवस्था कराने हेतु।

5–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

शर्ते ठेका पार्किंग मण्डी समिति रोड मैसूर पैलेस के सामने व मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या 578(शुगर मिल रोड रोड निकट वाल्मिकि बस्ती) की

1–यह कि इस ठेके की अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये होगी, इस ठेका मैसूर पैलेस के सामने पार्किंग का क्षेत्रफल 12.75 मीटर चौडाई व 178 मीटर लम्बाई कुल क्षे0 2269.5 वर्गमीटर व ग्राम मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या 578 (शुगर मिल रोड रोड निकट वाल्मिकि बस्ती) में पार्किंग का क्षेत्रफल 50 मीटर व 100 मीटर लम्बाई कुल क्षे0 5000 वर्गमीटर में होगा, तथा उक्त दोनो निविदा ठेका मैसूर पैलेस के समाने स्थित भूमि का न्यूनतम ऑफर 10 लाख, जमानत राशि 1 लाख व ठेका मानकमऊ में स्थित खसरा संख्या 578 की भूमि पर न्यन्तम न्यूनतम ऑफर 07 लाख, जमानत राशि 70 हजार रूपये(जी0एस0टी0 सहित) होगा। जमानत राशि की एफ0डी0आर के रुप में जमा करनी होगी। एफ0डी0आर0 लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी। इस एफ0डी0आर0 की अवधि 31.03.2024 तक की होनी आवश्यक है।

2–जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा टैण्डर शर्तों के अनुसार ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। **जमानत राशि** का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये टैण्डर में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।

3–यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी निविदा की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने व अनुबन्ध निष्पादन के बाद ही कार्यादेश जारी हो सकेगा, शेष धनराशि अप्रेल 2023 में जमा करनी होगी यदि ठेकेदार ऐसा नही करत
ण0ा है तो जमानत राशि सहित समस्त धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

4–यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी जमानत राशि सहित उसकी समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी, जिसके लिये निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

5–ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध मे स्टाम्प की कमी के लिये केवल ठेकेदार ही उत्तरदायी होगा।

6–ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तो के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

7–ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तों में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

8–ठेके के निमित्त भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ–साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9–ठेकेदार निर्धारित ठेका स्थल पर ही वसूली करेगा तथा वसूल की जाने वाली शुल्क की रसीदों का प्रारुप नगर निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही रसीद जारी की जायेगी। ऐसा न करने पर उसे ठेके की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

10–यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तों एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्ध रहेगा।

11– ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

12–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

14– अनुबंध एवं कार्यादेश से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।

15– ठेका मैसूर पैलेस, व ग्राम मानकमऊ खसरा संख्या 578 (शुगल मिल रोड रोड निकट वाल्मिकि बस्ती) की दिनांक 31.03.2024 तक हेतु पार्किंग ठेके में वाहनों से वसूले जाने वाली दरों का विवरणः–

साईकिल	– 10 रु.
स्कूटर	– 20 रु.
मोटर साईकिल	– 20 रु.
कार/जीप	– 50 रु.
थ्री व्हीलर	– 25 रु.

16–प्रत्येक ठेका की टैण्डर प्रकिया में भाग लेने के लिये निर्धारित जमानत धनराशि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं एक शपथ पत्र इस आशय का कि निविदादाता किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नही है, और नगर निगम सहारनपुर का बकायेदार नही है, उक्त अभिलेख अपनी निविदा के साथ ऑनलाईन कर निविदा बॉक्स में स्वःप्रमाणित प्रति सील बन्द लिफाफे में डालनी होगी, अन्यथा की दशा में ठेका टैण्डर स्वीकार्य नही होगा।

17–निविदादाता को ऑनलाईन निविदा दिनांक 30.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक डालने के पश्चात नगर निगम के सम्पत्ति विभाग में रखे टैण्डर बॉक्स में स्व हस्ताक्षरित अभिलेख जो ऑनलाईन निविदा में डाले है, उन्हे दिनांक 30.11.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक टैण्डर बॉक्स में डालना होगा, जो व्यक्ति/फर्म ऑनलाईन निविदा डालता है, और टैण्डर बॉक्स में अपना सील बन्द लिफाफा नही डालेगा, उस पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी, जुर्माना अदा न करने पर उसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकेगा, लेकिन सभी ऑनलाईन प्राप्त वैध निविदाओं पर विचार किया जायेगा।

18–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

19–टैण्डर शुल्क अंकन 1298/– रू0 (माल एंव सेवा कर सहित) देय होगा। होगा।

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner